

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 अप्रैल 2025—वैशाख 5, शक 1947

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2025

क्र. 558 /2318127/2024/66-1 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (क्रमांक 6/1974) की धारा 12 की उप धारा 3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

यह विनियम मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्तें) विनियम, 1996 यथा संशोधित 2025 कहलायेंगे। यह विनियम “मध्य प्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :

इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (1) “नियुक्ति प्राधिकारी” (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) से तात्पर्य अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से है।
- (2) “सेवा” से तात्पर्य, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) सेवा से है।
- (3) “शासन” से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग है।
- (4) “अनुसूची” से तात्पर्य इन विनियमों में संलग्न सूची से है।
- (5) “अनुसूचित जातियों” तथा “अनुसूचित जनजातियों” का वही अर्थ होगा जो उनके लिए संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) और (25) में क्रमशः दिया गया है तथा उससे तात्पर्य ऐसी जातियों तथा जन-जातियों से होगा जो शासन द्वारा समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित की जाये।
 “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है, कोई जाति मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (6) “अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (7) “अन्य पिछड़े वर्ग” से तात्पर्य ऐसी जातियों से है, जिन्हें शासन समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित करे। इन जातियों में से अपवाद होंगे, जिन्हें शासन द्वारा समय-समय पर “क्रीमी लेयर” परिभाषित किया जाये।

- (8) “अन्य पिछड़ा वर्ग” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग।
- (9) “बोर्ड” से तात्पर्य है, “म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड” ।
- (10) “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग” से तात्पर्य है, संविधान संशोधन के अनुरूप मध्य प्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) जो संविधान के अनुच्छेद-341 एवं 342 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85- 25-4-84 दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं, को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने संबंधी मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ-07-1/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 2 जुलाई 2019 से होगा जो शासन द्वारा समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित की जाये ।
- (11) “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)” से अभिप्रेत है, कोई नागरिक जो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-07/11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 2 जुलाई, 2019 के अनुसार किसी आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अधीन नहीं आता हो।

3. विस्तार तथा प्रयुक्ति :

अभी तक अपनाये गये मध्य प्रदेश शासन के मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में दिये उपबंधों को बोर्ड की सेवाओं पर यथा स्थिति लागू होने की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम इस विनियम में उल्लेखित सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।

4. सेवा का गठन :

सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् :-

- (1) वे व्यक्ति जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पद मूलतः अथवा स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों,
- (2) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और
- (3) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार, सेवा में भर्ती किये जायेंगे।

5. वर्गीकरण तथा वेतनमान :

सेवा का वर्गीकरण, उनसे संबद्ध वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी, परन्तु बोर्ड समय-समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में स्थाई या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी राज्य शासन के अनुमोदन से कर सकेगा। इसी प्रकार वेतनमान एवं अन्य सुविधाओं के मामले में, यदि परिस्थितियों की यह आवश्यकता हो तो राज्य शासन की सहमति से बोर्ड वेतनमान भी संशोधित कर सकेगा।

6. भर्ती का तरीका :

- (1) इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जावेगी अर्थात् :-
 - (क) अनुसूची-तीन के स्तंभ 6 के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निधारित विधि से।
 - (ख) अनुसूची-चार के स्तम्भ (2) के अनुसार सेवा के सदस्यों के चयन द्वारा।
- (2) उप विनियम वर्ग के खण्ड (1) तथा (2) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी समय अनुसूची-दो में उल्लेखित पदों के प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (3) इन विनियमों के उपबंधों के अद्ययाधीन भर्ती किसी विशिष्ट अवधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा की किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाए जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर इन विनियमों के अन्तर्गत उल्लेखित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित की जावेगी।

7. सेवा में नियुक्ति :

इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जावेगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति विनियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके से चयन करने के पश्चात् ही की जावेगी अन्यथा नहीं।

8. सीधी भर्ती की पात्रता की शर्तें :

चयन किए जाने के लिए पात्र होने की दृष्टि से उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी अर्थात् :-

(1) आयु :-

(क) उसने चयन के प्रारंभ होने की तारीख की आगामी पहली जनवरी को अनुसूची-तीन के कालम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु उसने उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, तो आयु की उच्चतम सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की शिथिलता दी जायेगी।

(ग) मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यार्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) ऐसे उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अथवा किसी अधिविनियम/अधिनियम के अन्तर्गत गठित बोर्ड या स्वायत्तशासी संस्था के अधिकारी हों या रह चुके हों, निम्नलिखित सीमा तक तथा शर्त के अधीन रहते हुए शिथिलता दी जावेगी।

सीधी भर्ती के उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश शासन, इस बोर्ड अथवा किसी बोर्ड या स्वायत्तशासी संस्थाओं से छटनी किए गए हों उसे अपनी आयु में से उसके

द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अवधि अधिक से अधिक 7 वर्ष की अवधि भले ही यह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवा के कारण हो कम करने की अनुमति दी जावेगी, बशर्ते कि इसके फलस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :-

“छटनी किए गए अधिकारी” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो मध्यप्रदेश राज्य की शासकीय सेवा अथवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अस्थायी सेवा में कम से कम 3 माह की निरन्तर कालावधि तक रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा बोर्ड में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व, कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसे उम्मीदवार जो “भूतपूर्व सैनिक” हो, उसे अपने आयु में उसके द्वारा पूर्व में की गई अधिकतम सात वर्ष की प्रतिरक्षा सेवा भले ही यह एक से अधिक मौकों की हो, की कालावधि कम करने की अनुमति दी जावेगी बशर्ते की परिणामी आयु अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :-

पद “भूतपूर्व सैनिक” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा या बोर्ड की सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष से पूर्व मितव्ययता इकाई की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप या स्थापना में सामान्य कमी किये जाने के कारण छटनी कर दी गई थी या जिसे अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित कर दिया था:-

- (i) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कंसेशन) के अधीन नियुक्त किया गया है।
- (ii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिसे दुबारा भर्ती किया गया है तथा जिसे (क) अल्पावधि कार्य पूर्ण हो जाने पर, (ख) भर्ती की शर्तों को पूर्ण कर लेने पर सेवा मुक्त कर दिया गया है।
- (iii) अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सहित ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा सिविल) जिन्हें उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवामुक्त किया गया है।
- (iv) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य पर लेने के पश्चात् सेवा मुक्त किया गया है।
- (v) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया है।

- (vi) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने, घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया है।
- (च) विधवा या तलाकशुदा महिला उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
- (छ) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत (ग्रीन कार्ड) धारण करने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिल की जावेगी।
- (ज) अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत ऐसे सवर्ण पार्टनर के लिए, जिन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत किया गया है, अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जायेगी।
- (झ) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित उम्मीदवार के मामले में भी अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जायेगी।
- (ञ) ऐसे उम्मीदवारों के संबंध में जो मध्य प्रदेश निगमों/बोर्डों के कर्मचारी हैं, अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिल की जायेगी।
- (त) स्वयं सेवी नगर सैनिकों (वालंटीयर होम गार्ड्स) तथा नगर सैनिकों के नाम कमीशनड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिए 8 वर्ष तक की सीमा के अधीन रहते हुए, शिथिल की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी :-

- (i) उन उम्मीदवारों की जिन्हें उपर्युक्त खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) में वर्णित आयु में रियायत के अधीन चयन के लिए ग्राह्य किया गया है, उस स्थिति में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी यदि वे आवेदन करने के पश्चात् या तो चयन किए जाने के पूर्व या पश्चात् मूल सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् मूल सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी कर दी जाये तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे।
- (ii) किसी भी अन्य दशा में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी।
- (iii) विभागीय उम्मीदवारों को किसी पद के लिए आवेदन करने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।
- (2) शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव :-
प्रत्येक उम्मीदवार के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं और जहां कहीं दर्शित हो अनुभव भी होना चाहिए जो कि अनुसूची-तीन में दर्शाई गई है:-
(1) आपवादिक मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे उम्मीदवार को चयन समिति/बोर्ड की सिफारिश पर अर्हता मान सकेगा, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई नहीं रखता है, किन्तु जिसने किन्हीं अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएँ ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जो राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा नियुक्ति अधिकारी के मत से आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं के समतुल्य हो जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उम्मीदवार चयन के लिये अर्हता रखता हो, और

(2) ऐसे उम्मीदवार के जो अन्यथा अर्ह हैं, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई है, उपाधियां प्राप्त की हैं, चयन के लिए भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विवेकानुसार विचार किया जा सकेगा।

(3) शुल्क :-

उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति जनजातियों के उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान करने से छूट होगी।

9. अनर्हता :-

उम्मीदवारों की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी और यदि चयन समिति गठित हो तो चयन समिति उस उम्मीदवार को चयन के लिए अनर्ह मान सकेगी।

10. नियुक्ति प्राधिकारी का उम्मीदवारों की पात्रता के संबंध में विनिश्चय अंतिम होना :-

प्रश्न परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए उम्मीदवार की पात्रता अथवा अपात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी उम्मीदवार को जिसे नियुक्ति, प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में प्रवेश के लिए सर्टिफिकेट न दिया गया हो उसे न तो साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा और न ही उसकी नियुक्ति पर विचार होगा।

11. प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :-

- (1) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अन्तरालों में किया जायेगा जैसा कि बोर्ड समय-समय पर अवधारित करे।
- (2) चयन समिति द्वारा चयन की प्रक्रिया ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जावेगी जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर जारी करें।
- (3) सीधी भर्ती के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) नियम 1998 के उपबंधों के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों में पदों के क्रमशः सोलह प्रतिशत अनुसूचित जाति, बीस प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, सत्ताइस प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दस प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों हेतु आरक्षित होंगे तथा इस सन्दर्भ में आरक्षण का प्रतिशत तत्समय पर मध्य प्रदेश शासन के प्रभावशील विनियमानुसार लागू होंगे।
- (4) इस प्रकार आरक्षित स्थानों को भरते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जावेगा, जिस क्रम में उनके नाम विनियम 13 में विनिर्दिष्ट सूची में आते हो, चाहे अन्य उम्मीदवार की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो।
- (5) ऐसे उम्मीदवारों को जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़ी जातियों के हों और जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी या प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप विनियम (ग) के अधीन यथा स्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या

पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

- (6) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां किसी भी रीति में अन्य अभ्यर्थियों से भरी नहीं जायेंगी।
- (7) सरकार द्वारा शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों/निःशक्तजनों के लिये आरक्षण के उपबंध होरीजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाइज होंगे।
- (8) मध्य प्रदेश सिविल सेवा (मलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों में से 35 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित होंगे। यह आरक्षण होरीजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाइज होगा।

12. चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों की सूची :-

- (1) चयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी को (1) अपने द्वारा निश्चित किए गए मानकों के अनुसार उम्मीदवारों की योग्यता क्रम बनाई गई सूची तथा (2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के उन उम्मीदवारों की सूची जो यद्यपि चयन समिति द्वारा चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड के न होने पर जिन्हें चयन समिति द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो।
- (2) इन विनियमों तथा म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के उपबंधों के अध्याधीन उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के बारे में उसी क्रम में विचार किया जावेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।
- (3) जब तक नियुक्ति प्राधिकारी का उसके द्वारा उम्मीदवार के पूर्व वृत्त के संबंध में आवश्यक समझी जाने वाली जांच पड़ताल से समाधान न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है, तब तक उप विनियम 12(क) 12(1) में उल्लेखित सूची में केवल उम्मीदवार का नाम शामिल होने से ही उसे नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल सकेगा।
- (4) चयन समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची नियुक्तिकर्ता अधिकारी या बोर्ड के अंतिम अनुमोदन की दिनांक से एक वर्ष की कालावधि तक के लिये विधिमान्य रहेगी।

13. चयन द्वारा नियुक्ति :-

- (1) पात्र अभ्यर्थियों के चयन के लिये अनुसूची-चार के कॉलम-5 में उल्लेखित सदस्यों से मिलाकर एक चयन समिति गठित की जायेगी।
- (2) समिति, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार, अनुसूची-चार के कॉलम 3(2) में उल्लेखित पदों से अनुसूची-चार के कॉलम 4(3) में उल्लेखित पदों के लिये समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी।
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन :- प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी उनके द्वारा जारी किये जाने वाले चयन आदेश पर इस आशय के प्रमाण-पत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने

मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों के उप-खण्डों के अधीन जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया है।

- (4) चयन समिति की बैठक ऐसे अन्तरावधियों पर होगी जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो,

14. चयन के लिए पात्रता की शर्तें :-

- (1) सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई चयन नीति के उपबन्धों के अनुसार समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उन पदों पर उतने वर्षों की सेवा, (चाहे स्थानापन्न रूप से या मूल रूप में) पूर्ण कर ली थी, जैसा कि अनुसूची-चार के कालम (3)(4) में विनिर्दिष्ट है।
- (2) परन्तु इस विनियम के अधीन किसी कनिष्ठ व्यक्ति को केवल उसकी अर्हकारी सेवा की कालावधि पूर्ण करने के आधार पर अपने से वरिष्ठ व्यक्ति के पहले विचार नहीं किया जायेगा।
- (3) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए चयन, वरिष्ठता पर समुचित रूप से ध्यान देते हुए योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा।

15. उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना :-

- (1) समिति ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी जो विनियम 14 में निहित की गई शर्तों को पूरा करते हों और जो सेवा में चयन के लिए समिति द्वारा उपयुक्त ठहराये गए हों। चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा चयन के कारण होने वाले पूर्वानुमानित प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी।
प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत व्यक्तियों की एक रक्षित सूची भी उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये तैयार की जायेगी।
- (2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिये चयन, “वरिष्ठता पर समुचित रूप से ध्यान देते हुये योग्यता” तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगी।
- (3) सूची में सम्मिलित किये गये अधिकारियों के नाम ऐसी चयन-सूची के तैयार करते समय अनुसूची-चार के कॉलम 2 में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण :-

ऐसे व्यक्ति, जिनका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो किन्तु जिन्हें चयन सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो केवल उनके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के उपर जिनपर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं करेंगे।

- (4) इस प्रकार तैयार की गई सूची को गुण दोष के आधार पर प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा। यदि चयन, पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अधिकमण किया जाये तो समिति प्रस्तावित अधिकमण के लिये अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

16. चयन सूची :-

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से यथा अनुमोदित सूची, अनुसूची-चार के कॉलम 3 में दर्शाये अनुसार सेवा के सदस्यों की चयन के लिये चयन सूची होगी। चयन सूची जब तक कि विनियम 15 के उपविनियम (घ) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण नहीं किया जाता, साधारणतः एक वर्ष की कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी, परन्तु चयन सूची में सम्मति किये गये किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूके होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर, चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तन की जानकारी समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों को, यदि कोई हो, विचार में लेने के पश्चात् सूची को ऐसे उपान्तरणों के साथ, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायासंगत तथा उचित हो, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा।
- (3) चयन द्वारा सेवा में नियुक्त किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा। परीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सरकार बोर्ड द्वारा ऐसी कालावधि को एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके उपरान्त कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर चयन से वंचित किया जा सकेगा। इस संबंध में बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा।

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :-

चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की केडर के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जावेगी जिस क्रम में उनके नाम अनुमोदित चयन सूची में है।

18. परीक्षा :-

सेवा में भर्ती किए गए प्रत्येक अधिकारी को दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा बशर्ते कि स्पष्ट रिक्तियां हों अन्यथा सभी नियुक्तियां अस्थायी रूप में आगामी आदेशों तक की जावेगी।

19. सेवा की अन्य शर्तें :-

सेवा की सामान्य शर्तें, आचरण एवं अनुशासन के संबंध में शासन के निम्न विनियम जैसे कि समय-समय पर प्रभावी हो, सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे :-

- (1) मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961
- (2) मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

- (3) मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 इस संशोधन के साथ कि नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील राज्य शासन, पर्यावरण विभाग के सम्मुख हो सकेगी जो प्रकरण पर विचार हेतु बनाई समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय लेंगे जो अंतिम होगा. यह समिति तीन अधिकारियों की हो सकेगी. जिनमें से एक बोर्ड का वरिष्ठ अधिकारी होगा. इसी तरह वेतनमान, वेतन निर्धारण, मंहगाई भत्तें, अवकाश तथा अर्धवार्षिक अधिवार्षिकी के मामलों में समय-समय पर शासकीय सेवकों को प्रभावी आदेश सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.
- (4) मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिविनियम, अधिनियम 1967 यथा संशोधित मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश अधिनियम 2018 तथा वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन का आदेश क्रमांक आर-298/1018/ 2018/विनियम/चार भोपाल दिनांक 27 अप्रैल 2018
- (5) मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976
- (6) मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977
- (7) मध्य प्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958

20. निर्वहन :-

यदि इन विनियमों के निर्वहन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाएगा और इस पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

21. छूट :-

इन विनियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यह ऐसे व्यक्ति के मामले में जिनको यह विनियम लागू होते हैं, राज्य बोर्ड की ऐसी रीति से कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है, जो उसे उचित व न्याय संगत प्रतीत हो परन्तु मामले पर कार्यवाही किसी ऐसी रीति से नहीं की जावेगी जो कि इन विनियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

22. व्यावृत्ति :-

इन विनियमों में की गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों पिछड़ा वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों के लिए उपबंध किए जाने को प्रभावित नहीं करेगी।

23. निरसन एवं व्याप्ति :-

इस विनियम के प्रभावशील होने पर जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्य प्रदेश नियम 1975, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्तें) विनियम, 1996 में सम्मिलित तत्स्थानी समस्त नियम/विनियम तथा बोर्ड द्वारा लागू

तत्संबंधी प्रशासनिक आदेश जो कि इन विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व लागू थे, निरस्त किए जाते हैं. परन्तु इस प्रकार निरसित किये विनियमों तथा आदेश के अधीन की गई कार्यवाही इन विनियमों के उपबंधों के अधीन की गई कार्यवाही मानी जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा सोलंकी, उपसचिव.

अनुसूची-एक
(पदों की संख्या व वेतनमान)
(विनियम-5 देखिये)

क्र 0	पदनाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रूपये)
1	2	3	4	5
I	यांत्रिकी सेवार्य			
1	अधिसमय वेतनमान समकक्ष डायरेक्टर (पर्यावरण)	01	प्रथम श्रेणी	141800-214700 (लेवल-17 ग्रेड पे 10000)
2	अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान समकक्ष एडीशनल डायरेक्टर (पर्यावरण)	02	प्रथम श्रेणी	129700-214300 (लेवल-16 ग्रेड पे 8900)
3	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष मुख्य अभियंता (पर्यावरण)	04	प्रथम श्रेणी	123100-215900 (लेवल-15 ग्रेड पे 8700)
4	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण)	14	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (लेवल-14 ग्रेड पे 7600)
5	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण)	22	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (लेवल-13 ग्रेड पे 6600)
6	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री (पर्यावरण)	84	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)
II	वैज्ञानिकी सेवार्य			
1	अधिसमय वेतनमान समकक्ष प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी	141800-214700 (लेवल-17 ग्रेड पे 10000)
2	अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान समकक्ष अतिरिक्त प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी	02	प्रथम श्रेणी	129700-214300 (लेवल-16 ग्रेड पे 8900)
3	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी	04	प्रथम श्रेणी	123100-215900 (लेवल-15 ग्रेड पे 8700)
4	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	14	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (लेवल-14 ग्रेड पे 7600)
5	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष मुख्य रसायनज्ञ	22	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (लेवल-13 ग्रेड पे 6600)
6	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष वैज्ञानिक	84	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)
II	प्रशासन, विधि एवं लेखा			
I	सेवार्य			
1	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष वित्त अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (लेवल-13 ग्रेड पे 6600)
2	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष प्रशासकीय अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (लेवल-13 ग्रेड पे 6600)
3	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष स्टॉफ ऑफिसर	02	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (लेवल-13 ग्रेड पे 6600)

4	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी	14	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)
5	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी (बजट एवं लेखा)	04	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)
6	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष शीघ्रलेखक ग्रेड- एक	07	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)
7	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष विधि सलाहकार	02	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (लेवल-14 ग्रेड पे 7600)
8	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष विधि अधिकारी	05	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (लेवल-13 ग्रेड पे 6600)
9	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक विधि अधिकारी	10	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)
IV	जनसम्पर्क एवं आईटी सेवायें			
1	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष सम्पर्क अधिकारी (डाइंग काडर घोषित कर आउटसोर्स कंसल्टेंट)	01	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)
2	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक जनसम्पर्क अधिकारी (डाइंग काडर घोषित कर आउटसोर्स कंसल्टेंट)	01	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)
3	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष कम्प्यूटर प्रोग्रामर/ऑपरेटर	04	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)

अनुसूची-दो
(सीधी भर्ती/चयन से भरे जाने वाले पदों की संख्या)
(विनियम-6 देखिये)

कं	पदनाम	श्रेणी	कुल पद संख्या	भरे जाने का प्रतिशत व संख्या	
				सीधी भर्ती	चयन
1	2	3	4	5	6
I. यांत्रिकी सेवायें					
1	अधिसमय वेतनमान समकक्ष डायरेक्टर (पर्यावरण)	प्रथम श्रेणी	01	--	01 (100 प्रतिशत)
2	अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान समकक्ष एडीशनल डायरेक्टर (पर्यावरण)	प्रथम श्रेणी	02	--	02 (100 प्रतिशत)
3	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष मुख्य अभियंता (पर्यावरण)	प्रथम श्रेणी	04	--	04 (100 प्रतिशत)
4	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण)	प्रथम श्रेणी	14	--	14 (100 प्रतिशत)
5	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण)	प्रथम श्रेणी	22	--	22 (100 प्रतिशत)
6	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री (पर्यावरण)	द्वितीय श्रेणी	84	42 (50 प्रतिशत)	42 (50 प्रतिशत)
II. वैज्ञानिकी सेवायें					
1	अधिसमय वेतनमान समकक्ष प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी	प्रथम श्रेणी	01	--	01 (100 प्रतिशत)
2	अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान समकक्ष अतिरिक्त प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी	प्रथम श्रेणी	02	--	02 (100 प्रतिशत)
3	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी	प्रथम श्रेणी	04	--	04 (100 प्रतिशत)
4	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	प्रथम श्रेणी	14	--	14 (100 प्रतिशत)
5	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष मुख्य रसायनज्ञ	प्रथम श्रेणी	22	--	22 (100 प्रतिशत)
6	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष वैज्ञानिक	द्वितीय श्रेणी	84	42 (50 प्रतिशत)	42 (50 प्रतिशत)
III. प्रशासन, विधि एवं लेखा सेवायें					
1	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष वित्त अधिकारी	प्रथम श्रेणी	01	--	01 (100 प्रतिशत)
2	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष प्रशासकीय अधिकारी	प्रथम श्रेणी	01	--	01 (100 प्रतिशत)
3	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष स्टॉफ ऑफिसर	प्रथम श्रेणी	02	--	02 (100 प्रतिशत)

4	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	14	07 (50 प्रतिशत)	07 (50 प्रतिशत)
5	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी (बजट एवं लेखा)	द्वितीय श्रेणी	04	02 (50 प्रतिशत)	02 (50 प्रतिशत)
6	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष शीघ्रलेखक ग्रेड- एक	द्वितीय श्रेणी	07	--	07 (100 प्रतिशत)
7	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष विधि सलाहकार	प्रथम श्रेणी	02	--	02 (100 प्रतिशत)
8	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष विधि अधिकारी	प्रथम श्रेणी	05	--	05 (100 प्रतिशत)
9	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक विधि अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	10	05 (50 प्रतिशत)	05 (50 प्रतिशत)
IV. जनसम्पर्क एवं आईटी सेवार्य					
1	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष सम्पर्क अधिकारी(डाइंग काडर घोषित कर आउटसोर्स कंसल्टेंट)	द्वितीय श्रेणी	01	--	01 (100 प्रतिशत)
2	कनिष्ठ वेतनमान समकक्षसहायक जनसम्पर्क अधिकारी(डाइंग काडर घोषित कर आउटसोर्स कंसल्टेंट)	द्वितीय श्रेणी	02	02 (100 प्रतिशत)	--
3	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष कम्प्यूटर प्रोग्रामर/ऑपरेटर	द्वितीय श्रेणी	04	04 (100 प्रतिशत)	आउट सोर्सिंग के माध्यम से

अनुसूची-तीन
(सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों हेतु निर्धारित अर्हता)
(विनियम-8 देखिये)

क्रं	पदनाम	निम्नतर आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक योग्यता	चयन का प्रकार
1	2	3	4	5	6
I. यांत्रिकी सेवार्ये					
1	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री (पर्यावरण)	21	40*	मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से पर्यावरण इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर व स्नातक स्तर पर सिविल इंजीनियरिंग ।	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा

II. वैज्ञानिक सेवार्ये					
1	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष वैज्ञानिक	21	40*	जीव विज्ञान/ वनस्पति विज्ञान/ जैविक विज्ञान /भूगर्भ विज्ञान/ पृथ्वी विज्ञान/ रसायनिक विज्ञान/ पर्यावरण विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्व विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अन्य अकादमिक संवर्गों में उच्च शिक्षा का स्तर बनाये रखने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता एवं अन्य मापदण्ड विनियम 2010 या समय समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा अंगीकृत विनियमों के अनुसार लागू होंगी।	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा

III. प्रशासन, विधि एवं लेखा सेवार्ये

1	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी	21	40*	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.ए.	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा
---	--------------------------------------	----	-----	---	----------------------------

2	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी (बजट एवं लेखा)	21	40*	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.ए.	नियुक्ति द्वारा प्राधिकारी
3	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक विधि अधिकारी	21	40*	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक	नियुक्ति द्वारा प्राधिकारी
IV. जनसम्पर्क एवं आईटी सेवायें					
1	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक जनसम्पर्क अधिकारी (डाइंग कार्डर घोषित कर आउटसोर्स कंसल्टेंट)	21	40*	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन /जर्नलिज्म/ पब्लिक रिलेशन में स्नातकोत्तर उपाधि	नियुक्ति द्वारा प्राधिकारी

नोट :

1. *अधिकतम आयु सीमा मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-11/12/13/ 1/3 भोपाल दिनांक 03/11/2012 एवं संशोधित आदेश दिनांक 20/12/2012 के अनुसार है, भविष्य में मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयु सीमा के संबंध में किये जाने वाले संशोधन बोर्ड में स्वतः लागू माने जायेंगे।

अनुसूची-चार
(चयन से भरे जाने वाले पदों हेतु निर्धारित अर्हता)
(विनियम-6 एवं 14 देखिये)

कं.	पद का नाम जिससे चयनित किया जाना है	पद का नाम जिस पर चयनित किया जाना है	आवश्यक शैक्षणिक योग्यता व अनुभव	चयन समिति के सदस्य
1	2	3	4	5
I.	यांत्रिकी सेवायें			
1	अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान समकक्ष एडीशनल डायरेक्टर (पर्यावरण)	अधिसमय वेतनमान डायरेक्टर (पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी)	अतिरिक्त अधिसमय श्रेणी वेतनमान समकक्ष एडीशनल डायरेक्टर (पर्यावरण) पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य 5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य
2	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष मुख्य अभियंता (पर्यावरण)*	अतिरिक्त अधिसमय श्रेणी वेतनमान समकक्ष एडीशनल डायरेक्टर (पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी)	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष मुख्य अभियंतापद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य 5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य

3	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण)	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान मुख्य अभियंता (पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी)	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष अधीक्षण यंत्री पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य 5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य
4	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण)	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी)	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष कार्यपालन यंत्री पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा तथा मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से पर्यावरण इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर व स्नातक स्तर पर सिविल इंजीनियरिंग। (उक्त शैक्षणिक योग्यता इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन होने के पूर्व से बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।)	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य 5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य

5	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री (पर्यावरण)	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष कार्यपालन यंत्री(पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य 5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य
6	उपयंत्री (तृतीय श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री (पर्यावरण) (द्वितीय श्रेणी)	<ol style="list-style-type: none"> (1) सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि के साथ उपयंत्री के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा। (2) सिविल अभियांत्रिकी में पत्रोपाधि के साथ उपयंत्री पद पर 08 वर्ष की लगातार सेवा। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य 5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य
7	मुख्य मानचित्रकार/ मानचित्रकार (तृतीय श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री (पर्यावरण) (द्वितीय श्रेणी)	<ol style="list-style-type: none"> (1) मुख्य मानचित्रकार/ मानचित्रकार पद पर 12 वर्ष की लगातार सेवा। (2) सेवा के दौरान बी.ई.डिग्री प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिये मुख्य मानचित्रकार / मानचित्रकार पद पर 08 वर्ष की लगातार नियमित सेवा। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य 5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य

II.	वैज्ञानिक सेवायें			
1	अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान समकक्ष अतिरिक्त प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	अधिसमय वेतनमान समकक्ष प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान समकक्ष अतिरिक्त प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य 5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य
2	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान समकक्ष अतिरिक्त प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य 5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य
3	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य 5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य

4	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष मुख्य रसायनज्ञ (प्रथम श्रेणी)	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथमश्रेणी)	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष मुख्य रसायनज्ञ के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा तथा जीव विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/जैविक विज्ञान/भूगर्भ विज्ञान/पृथ्वी विज्ञान/रसायनिक विज्ञान/पर्यावरण विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्व विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अन्य अकादमिक संवर्गों में उच्च शिक्षा का स्तर बनाये रखने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता एवं अन्य मापदण्ड विविनियम 2010 या समय समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा अंगीकृत विनियमों के अनुसार लागू होंगी। (उक्त शैक्षणिक योग्यता इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन होने के पूर्व से बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।)	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य 5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य
---	---	--	---	--

5	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष वैज्ञानिक (द्वितीय श्रेणी)	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष मुख्य रसायनज्ञ (प्रथम श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष वैज्ञानिक के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य 5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य
6	कनिष्ठ वैज्ञानिक/रसायनज्ञ (तृतीय श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष वैज्ञानिक (द्वितीय श्रेणी)	<p>(1) एम.एससी. उपाधि के साथ कनिष्ठ वैज्ञानिक/रसायनज्ञ के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।</p> <p>(2) बी.एससी. उपाधि के साथ कनिष्ठ वैज्ञानिक/रसायनज्ञ के पद पर 08 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य 5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य
III. प्रशासन, विधि एवं लेखा सेवार्थ				
1	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष वित्त अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य 5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य

2	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष प्रशासकीय अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा ।	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य 5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य
3	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष शीघ्रलेखक ग्रेड-1 (द्वितीय श्रेणी)	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष स्टॉफ ऑफीसर (प्रथम श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष शीघ्रलेखक ग्रेड-1 के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा ।	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य 5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य
4	अधीक्षक/ वरिष्ठ लेखपाल (तृतीय श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	अधीक्षक/ वरिष्ठ लेखपाल के पद पर 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा ।	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य 5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य

5	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 (तृतीय श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 (द्वितीय श्रेणी)	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 के पद पर 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य 5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य
6	वरिष्ठ आडिटर/ समकक्ष वेतनमान के कर्मचारी (तृतीय श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी (बजट एवं आडिट) (द्वितीय श्रेणी)	<p>(1) ग्रेड-पे 4200 के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।</p> <p>(2) बी.कॉम के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन में एमबीए डिग्री।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य 5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य
7	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक विधि अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष विधि अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक विधि अधिकारी के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य 5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य

8	विधि सहायक (तृतीय श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक विधि अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	विधि सहायक ग्रेड-1 के पद पर 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य 5. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य
---	---------------------------	---	---	--

Bhopal, the 17th April 2025

No. 558 /2318127/2024/66-1, In exercise of the powers conferred by sub-section 3 (a) of section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6/1974), the State Government, hereby makes the following regulations from the date of publication, namely:-

1. Short Title and Commencement-

These regulations shall be called The Madhya Pradesh Pollution Control Board Service (Class I and Class II) (Recruitment and Conditions of Service) Regulations, 1996 as amended 2025. These regulations shall come into force from the date of publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. Definition:-

In these Regulations, unless the context otherwise requires:-

- (1) "Appointing Authority" (Class I & II) means the Chairman, Madhya Pradesh Pollution Control Board.
- (2) "Service" means the Madhya Pradesh Pollution Control Board, (Class I & II) Service.

- (3) "Government" means Government of Madhya Pradesh, Environment Department.
- (4) "Schedule" means the Schedule appended to these Regulations.
- (5) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meanings as respectively assigned to them by clauses (24) and (25) of Article 366 of the Constitution and shall mean such castes and tribes as are be notified as such by the Government from time to time.
"Scheduled Caste" means any caste, race or tribe or part of or group within any caste, race or tribe specified as a Scheduled Caste with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India.
- (6) "Scheduled Tribe" means any tribe or tribal community or part of or group within such tribe or tribal community specified as Scheduled Tribe with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India.
- (7) "Other Backward Classes" means such castes as may be notified by the Government from time to time. Exceptions to these castes shall be those which have been defined as "Creamy Layer" by the Government from time to time.
- (8) "Other Backward Classes" means other backward classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated the 26th December, 1984, as amended from time to time.

- (9) "Board" means "M.P. Pollution Control Board".
- (10) "Economically Weaker Section" means the Circular No. F-07-1/2019/A.P./1 Bhopal dated 2nd July 2019 issued by the General Administration Department of the Government of Madhya Pradesh regarding providing 10 per cent reservation in admission in educational institutions and in government jobs to the Economically Weaker Sections (EWS) of the State of Madhya Pradesh who do not fall within the purview of reservation provided to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes notified for the State of Madhya Pradesh under Articles 341 and 342 of the Constitution and to the Other Backward Classes specified by the State Government in Notification No. F-85-25-4-84 dated 26th December 1984, as amended from time to time, as may be notified by the Government from time to time.
- (11) "Economically Weaker Section (EWS)" means any citizen who does not fall under any reserved category like Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes as per General Administration Department circular No. F-07/11/2019/A.P./1, dated the 2nd July, 2019.

3. Scope and Application:

Without prejudice to the generality of the provisions contained in the of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Regulations, 1961 of the Government of Madhya

Pradesh, as applicable to the services of the Board, as the case may be these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of the Service:

The Service shall consist of the following persons, namely:-

- (1) Persons who, at the commencement of these regulations, are holding substantively or in officiating capacity posts specified in Schedule-I,
- (2) Persons to be recruited to the Service before the commencement of these regulations, and
- (3) Persons to be recruited to the Service in accordance with the provisions of these regulations.

5. Classification and Pay Scales:

The classification of the service, pay scale and the number of posts included in the service shall be as specified in Schedule-I, Provided that the Board may from time to time add to or reduce the number of posts included in the service either on permanent or temporary basis after the approval of State Government. Similarly, in the matter of pay scale and other facilities, if the circumstances so warrant, the board may make suitable amendment as and when found necessary, with the approval of the State Government.

6. Method of recruitment:

- (1) After the commencement of these regulations, recruitment to the Service shall be made by the following methods, namely:-
 - (a) By such method as may be determined by the Appointing Authority in accordance with column 6 of Schedule III.
 - (b) By selection from among the members of the Service in accordance with column 2 of Schedule IV.
- (2) The number of persons recruited under clauses (a) and (b) of sub-regulations at any time shall not exceed the percentage specified in Schedule II.
- (3) The method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the Service required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method shall, be determined on each occasion, by the Appointing Authority designated under in these regulations.

7. Appointment in the Service:

All appointments to the Service after the commencement of these regulations shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of

the methods of recruitment specified in clause 6.

8. Condition of Eligibility for direct recruitment:

In order to be eligible for recruitment, a candidate must fulfill the following conditions, namely:-

(1) AGE:-

- (a) He must have attained the age shown in column (3) of schedule III and have not attained the age shown in column (4) of the said schedule on the first day of January next following the date of commencement of the selection;
- (b) If a candidate belongs to Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Other Backward Class, the upper age limit shall be relaxed by a maximum of 5 years.
- (c) As per the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997, the upper age limit shall be relaxed by 5 years for women candidates.
- (d) Relaxation shall be given to candidates who are or have been officers of this Board or of any Board or Autonomous Institution constituted under any Act or Regulations of the Government of Madhya Pradesh to the extent and subject to the following conditions.

Direct recruitment candidates retrenched from the Government of Madhya Pradesh, this Board or any Board or Autonomous Institution shall be allowed to reduce their age by the period of temporary service rendered by them up to a maximum period of seven years even if this period is due to service rendered more than once, provided that the age resulting from this shall not be more than three years upper the maximum age limit.

Explanation:-

'Retrenched Officer' denotes a person who was in the Government Service of this State or in the temporary service of Pollution Control Board for a continuous period of not less than three months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to date of registration at the Employment Exchange or of application made otherwise applying for appointment in the Board.

- (e) A candidate who is an 'ex-Serviceman' shall be allowed to deduct from his age by the period of all defense services rendered by him up to a maximum limit of seven years even if it is for more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation:-

The term "ex-serviceman" denotes a person belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendations of the economy unit or due to normal reduction in establishment, not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service or the Board :-

- (i) Ex-serviceman released under mustering out concessions;
- (ii) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on
 - (a) Completion of short term engagement,
 - (b) Fulfilling the conditions of the enrolment.
- (iii) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers);
- (iv) Officer discharged after working for more than 6 months continuously against leave vacancies;

- (v) Ex-serviceman invalidated out of service;
- (vi) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.
- (f) The upper age limit for widow or divorced female candidate shall be 45 years
- (g) The Upper age limit shall be relaxable up to 2 years in respect of those candidates who are Green Card Holders under the Family Welfare Programs.
- (h) The general upper age limits shall be relaxed upto 5 years in respect of a Savarna Partner who has been awarded under the inter-casts marriage incentive scheme of Tribal, Harijan and backward class welfare Department.
- (i) The upper age limit shall also be relaxed upto 5 years in respect of those candidates who are "Vikram Award" holders;
- (j) The upper age limit shall be relaxable upto 45 years of the age in respect of Madhya Pradesh State Corporation/Board.
- (k) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards for the period of service so rendered by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 45 years.

Note :-

- (i) Candidates who are admitted to selection under the age relaxation mentioned in sub-clause (a) of clause (c) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from the parent service either before or after selection, They shall, however, continue to be eligible, if they are retrenched from the service or post after submitting the application.
- (ii) In no other case, shall these age limits be relaxed.
- (iii) Departmental candidates must obtain prior permission of their appointing authority to appear for the selection.

(2) EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE:

Every candidate must possess such educational qualifications and experiences if any prescribed for the service / post as shown in Schedule-III:-

- (1) In exceptional cases, the appointing authority may, treat as qualified as candidate who, though does not possess any qualifications prescribed in this clause, has passed such examinations conducted by any other

institutions at a standard recognized by the State Government, which, in the opinion of the appointing authority, are equivalent to the essential educational qualifications for which, in the opinion of the appointing authority, the candidate shall be eligible for examination/selection, and

- (2) Candidate who are otherwise qualified, but have taken degree from foreign Universities not specifically recognized by the Government, may also be considered for selection by the appointing authority.

(3) Fees

The candidate must pay the fees prescribed by the appointing authority/ commission/ Government as revised from time to time.

9. Disqualification:

Any attempt on the part of candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the appointing authority or selection committee if so constituted to disqualify him for selection.

10. Decision of the Appointing Authority regarding eligibility of candidates shall be final:-

The decision of the Appointing Authority regarding the eligibility of a candidate for admission to examination/selection shall be

final and no candidate to whom, certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be interviewed or considered for appointment.

11. Direct Recruitment by Competitive Examination:-

- (1) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Board from time to time may determine.
- (2) The selection procedure of the Selection Committee shall be such as may be issued by the Appointing Authority may prescribed from time to time.
- (3) For direct recruitment as per the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Rules, 1998, the reservation of, sixteen per cent posts for Scheduled Castes, twenty per cent posts for Scheduled Tribes, twenty seven percent posts for Other Backward Classes and ten per cent posts for members of economically weaker sections. And in this context, the percentage of reservation shall be applicable as per the regulations of Madhya Pradesh Government in force from time to time.
- (4) In filling the vacancies so reserved, candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Castes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list specified in Rule 13, irrespective of their relative position as compared to other candidates.

- (5) Candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Backward Castes who have been declared suitable for appointment in the Service by the appointing authority with due regard to the maintenance of efficiency in administration or administration may be appointed against the vacancies reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Backward Castes, as the case may be, under sub-regulation (c).
- (6) If sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes is not available to fill all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled by other candidates in any manner.
- (7) The Provisions for reservation for physically challenged persons as declared by the Government shall be horizontal and compartment wise.
- (8) Out of the available vacancies in the posts shall also be reserved for women candidates in accordance with the provision of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.

12. List of candidates recommended by the Selection Committee.-

- (1) The Selection Committee shall forward to the appointing authority (i) A list arranged in order of merit of the candidate according to the standards determined by it and (ii) a list of such candidates belonging to the Scheduled

Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who, though not qualify by that standard but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment with due regard to the maintenance of efficiency in administration.

- (2) Subject to the provisions of these Regulations and the M.P. Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 Government of M.P., candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.
- (3) Inclusion of a candidate name in the list confers no right him to appointment, unless the appointing authority is satisfied after making such an enquiry, Candidate as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the.
- (4) The list so prepared by the Selection Committee shall remain valid for a period of one year from the date of final approval of the appointing authority or the Board whichever is applicable.

13. Appointment by Selection:-

- (1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Column-5 of Schedule-IV for the selection of eligible candidates.

- (2) The Committee shall consider the cases of all persons for the posts mentioned in Column 3, 2 of Schedule-IV to the posts mentioned in Column 4, 3 of Schedule-IV in accordance with the instructions issued by the General Administration Department from time to time.
- (3) Certification by the Appointing Authority:- Appointing Authority shall endorse a certificate to the effect that the selection complied with the instructions issued under the Madhya Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes/Tribes and Other Backward Classes) Act 1994 (No. 21 of 1994) and sub-sections of the regulations issued by the General Administration Department from time to time.
- (4) The Selection Committee shall meet at such intervals as directed by the appointing authority ordinarily not exceeding one year,

14. Conditions of Eligibility for selection:-

- (1) The Committee shall consider the cases of all persons who, on the 1st day of January of that year, have completed number of years of service (whether officiating or substantive) as mentioned in columns (3), (4) of Schedule-IV, in accordance with the provisions of the Selection Policy issued by the Government from time to time.

- (2) Provided that no junior person shall be considered for selection in preference to the person senior to him under merely on the basis of his completing the period of prescribed service.
- (3) Selection for including names in such list shall be based on merit with proper consideration of seniority and suitability in all respects.

15. Preparation of list of suitable persons:-

- (1) The committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 14 above and as are held by the committee to be suitable for selection, to the service. The list shall be sufficient to cover the vacancies anticipated to occur on account of retirement and selection during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of twenty five percent of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.
- (2) The selection for inclusion in such list shall be based on "merit and suitable in all respect with due regard to seniority.
- (3) The names of the officers included in the list shall be

arranged on the order of seniority as specified in column 2 of Schedule-IV at the time of preparation such select list.

Explanation:-

Persons whose names are included in the select list but who are not promoted during the validity of the select list shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

- (4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year on the basis of merits. If in the process of selection, review or revision as the case may be, it is proposed to supersede any member of the Service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16. Select List:-

- (1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall form the Select List for selection of members of Service from the posts mentioned in column 3 of Schedule-IV. The Select List shall be valid for a period of one year, unless its review or revision takes place under sub-regulation (d) of regulation 15. In any case the validity shall not be extended beyond a period of 18 months in total from the date of approval. Provided that in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in

the Select List, a special review of the Select List may be made at the instance of the Appointing Authority and the Committee, if it thinks fit, may remove the name of such person from the Select List.

- (2) If the appointing authority considers it necessary to make any change in the list received from the Committee, then it shall intimate the proposed change to the Committee and after taking into account the comments, if any, may approve the list finally with such modifications, if any, as may in its opinion be just and proper.
- (3) Every person appointed to the service by selection shall be appointed on the probation for a period of two years. If the work is not found satisfactory in the trial period the Government/Board may further extend the period up to one year. After this, if the work is not found satisfactory, he/she may be deprived from selection. The decision of the Board in this regard shall be final.

17. Appointment to Service from Select List:-

The persons included in the select list shall be appointed to the service cadre shall follow the same order in which their name of such person appear in the select list.

18. Probation:-

Every officer recruited to the Service shall be appointed on probation for a period of two years provided there exits clear vacancies otherwise all appointments shall be made temporarily until further orders.

19. Other Conditions of Service:-

In the matter of general conditions of service, conduct and discipline following rules of the government as applicable from time to time shall mutatis- mutandis apply to every member of Service:-

- (1) Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961
- (2) Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965
- (3) Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 with the modification that an appeal against the order of the appointing authority shall be before the State Government, Environment Department who may after considering the report of the committee, specifically appointed by him to examine the case, take the decision which shall be final. This Committee may consist of three officers including one be the senior officer of the Board.

Similarly in matters of pay scale, pay fixation, dearness allowance, leave and age of superannuation applicable to the government servants from time to time shall apply to every member of service.

- (4) Madhya Pradesh Government Servant (Superannuation Age) Act, 1967 as amended by Madhya Pradesh Government Servant (Superannuation Age) Amendment Ordinance Act 2018 and order of Finance Department Madhya Pradesh Government No. R-298/1018/2018/Regulation/Four Bhopal dated 27 April 2018
- (5) Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Regulations, 1976
- (6) Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Regulations, Rules, 1977
- (7) Madhya Pradesh Civil Services (Medical Care) Regulations, Rules, 1958

20. Interpretation:-

If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be referred to the Board whose decision shall be final.

21. Relaxation:-

Nothing in these regulations shall be construed as limiting or abridge the power of the State Board to deal with the case of any

person to whom these regulations apply in such manner as may appear it to be just and equitable, Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than the manner provided in these regulations.

22. Savings:-

Nothing in these regulations shall affect the provision for reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Castes/Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

23. Repeal and Scope:-

All provisions corresponding to the provision made in these regulations included in these regulations, Water (Prevention and Control of Pollution) Madhya Pradesh Regulations, 1975, Madhya Pradesh Pollution Control Board (Class I & II) (Recruitment and Service Conditions) Regulations, 1996 and the executive instructions issued by the Board in this behalf as in force before the commencement of these regulations are repealed.

Provided that any order or action taken under the rules so corresponding, shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these regulations.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VARSHA SOLANKI, Dy. Secy.

Schedule-I
(Number of posts and pay scales)
(See Regulation-5)

Sr. No.	Designation	No. of Post	Classification	Scale of Pay (Rs)
1	2	3	4	5
I. ENGINEERING SERVICE				
1	Super Time Pay Scale Equivalent Director (Environment)	01	Class I	141800-214700 (Level-17 Grade Pay 10000)
2	Additional Super Time Pay Scale Equivalent Additional Director (Environment)	02	Class I	129700-214300 (Level-16 Grade Pay 8900)
3	Senior Selection Pay Scale Equivalent Chief Engineer (Environment)	04	Class I	123100-215900 (Level-15 Grade Pay 8700)
4	Selection Grade Pay Scale Equivalent Superintendent Engineer (Environment)	14	Class I	79900-211700 (Level-14 Grade Pay 7600)
5	Senior Grade Pay Scale Equivalent Executive Engineer (Environment)	22	Class I	67300-206900 (Level-13 Grade Pay 6600)
6	Junior Grade Pay Scale Equivalent Assistant Engineer (Environment)	84	Class II	56100-177500 (Level-12 Grade Pay 5400)
II. SCIENTIFIC SERVICE				
1	Super Time Pay Scale Equivalent Chief Scientific Officer	01	Class I	141800-214700 (Level-17 Grade Pay 10000)
2	Additional Super Time Pay Scale Equivalent Additional Chief Scientific Officer	02	Class I	129700-214300 (Level-16 Grade Pay 8900)
3	Senior Selection Pay Scale Chief Scientific Officer	04	Class I	123100-215900 (Level-15 Grade Pay 8700)
4	Selection Grade Pay Scale Equivalent Senior Scientific Officer	14	Class I	79900-211700 (Level-14 Grade Pay 7600)
5	Senior Grade Pay Scale Equivalent Chief Chemist	22	Class I	67300-206900 (Level-13 Grade Pay 6600)
6	Junior Grade Pay Scale Equivalent Scientist	84	Class II	56100-177500 (Level-12 Grade Pay 5400)
III. ADMINISTRATION, LEGAL AND ACCOUNTING SERVICES				
1	Senior Grade Pay Scale Equivalent Finance Officer	01	Class I	67300-206900 (Level-13 Grade Pay 6600)
2	Senior Grade Pay Scale Equivalent Administrative Officer	01	Class I	67300-206900 (Level-13 Grade Pay 6600)

* * *

3	Senior Grade Pay Scale Equivalent Staff Officer	02	Class I	67300-206900 (Level-13 Grade Pay 6600)
4	Junior Grade Pay Scale Equivalent Section Officer	14	Class II	56100-177500 (Level-12 Grade Pay 5400)
5	Junior Grade Pay Scale Equivalent Section Officer (Budget & Accounts)	04	Class II	56100-177500 (Level-12 Grade Pay 5400)
6	Junior Grade Pay Scale Equivalent Stenographer Grade- I	07	Class II	56100-177500 (Level-12 Grade Pay 5400)
7	Selection Grade Pay Scale Equivalent Legal Advisor	02	Class I	79900-211700 (Level-14 Grade Pay 7600)
8	Senior Grade Pay Scale Equivalent Law Officer	05	Class I	67300-206900 (Level-13 Grade Pay 6600)
9	Junior Grade Pay Scale Equivalent Assistant Law Officer	10	Class II	56100-177500 (Level-12 Grade Pay 5400)

IV. Public Relations & IT Services

1	Junior Grade Pay Scale equivalent Public Relations Officer (Outsource Consultant by declaring Dyeing Cadre)	01	Class II	56100-177500 (Level-12 Grade Pay 5400)
2	Junior Grade Pay Scale equivalent Assistant Public Relations Officer (Outsource Consultant by declaring Dyeing Cadre)	01	Class II	56100-177500 (Level-12 Grade Pay 5400)
3	Junior Grade Pay Scale equivalent Computer Programmer/Operator	04	Class II	56100-177500 (Level-12 Grade Pay 5400)

Schedule-II

(Number of posts to be filled by direct recruitment/selection)

(See Regulation-6)

Sr.	Designation	Category	Total number of posts	Percentage and number of posts filled	
				Direct Recruitment	Selection
1	2	3	4	5	6
I. ENGINEERING SERVICE					
1	Super Time Pay Scale Equivalent Director (Environment)	Class I	01	--	01 (100 percent)
2	Additional Super Time Pay Scale Equivalent Additional Director (Environment)	Class I	02	--	02 (100 percent)
3	Senior Selection Pay Scale Equivalent Chief Engineer (Environment)	Class I	04	--	04 (100 percent)
4	Selection Grade Pay Scale Equivalent Superintendent Engineer (Environment)	Class I	14	--	14 (100 percent)
5	Senior Grade Pay Scale Equivalent Executive Engineer (Environment)	Class I	22	--	22 (100 percent)
6	Junior Grade Pay Scale Equivalent Assistant Engineer (Environment)	Class II	84	42 (50 percent)	42 (50 percent)
II. SCIENTIFIC SERVICE					
1	Super Time Pay Scale Equivalent Chief Scientific Officer	Class I	01	--	01 (100 percent)
2	Additional Super Time Pay Scale Equivalent Additional Chief Scientific Officer	Class I	02	--	02 (100 percent)
3	Senior Selection Pay Scale Chief Scientific Officer	Class I	04	--	04 (100 percent)
4	Selection Grade Pay Scale Equivalent Senior Scientific Officer	Class I	14	--	14 (100 percent)
5	Senior Grade Pay Scale Equivalent Chief Chemist	Class I	22	--	22 (100 percent)

6	Junior Grade Pay Scale Equivalent Scientist	Class II	84	42 (50 PERCENT)	42 (50 PERCENT)
III. ADMINISTRATION, LEGAL AND ACCOUNTING SERVICES					
1	Senior Grade Pay Scale Equivalent Finance Officer	Class I	01	--	01 (100 percent)
2	Senior Grade Pay Scale Equivalent Administrative Officer	Class I	01	--	01 (100 percent)
3	Senior Grade Pay Scale Equivalent Staff Officer	Class I	02	--	02 (100 percent)
4	Junior Grade Pay Scale Equivalent Section Officer	Class II	14	07 (50 PERCENT)	07 (50 PERCENT)
5	Junior Grade Pay Scale Equivalent Section Officer (Budget & Accounts)	Class II	04	02 (50 PERCENT)	02 (50 PERCENT)
6	Junior Grade Pay Scale Equivalent Stenographer Grade-	Class II	07	--	07 (100 percent)
7	Selection Grade Pay Scale Equivalent Legal Advisor	Class I	02	--	02 (100 percent)
8	Senior Grade Pay Scale Equivalent Law Officer	Class I	05	--	05 (100 percent)
9	Junior Grade Pay Scale Equivalent Assistant Law Officer	Class II	10	05 (50 percent)	05 (50 percent)
IV. PUBLIC RELATIONS & IT SERVICES					
1	Junior Grade Pay Scale equivalent Public Relations Officer (Outsource Consultant by declaring Dyeing Cadre)	Class II	01	--	01 (100 percent)
2	Junior Grade Pay Scale equivalent Assistant Public Relations Officer (Outsource Consultant by declaring Dyeing Cadre)	Class II	02	02 (100 percent)	--
3	Junior Grade Pay Scale equivalent Computer Programmer/Operator	Class II	04	04 (100 percent)	Through Outsource.

Schedule-III

(Qualifications prescribed for posts to be filled by direct recruitment)

(See Regulation-8)

Sr.	Designation	Lower Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed Educational Qualification	Type of Selection
1	2	3	4	5	6
I. ENGINEERING SERVICE					
1	Junior Grade Pay Scale Equivalent Assistant Engineer (Environment)	21	40*	Post Graduate degree in Environmental Engineering and Graduate degree in Civil Engineering from a recognized University.	By the appointing authority
II. SCIENTIFIC SERVICE					
1	Junior Grade Pay Scale Equivalent Scientist	21	40*	The minimum qualifications prescribed for the post of Assistant Professor in Zoology/ Botany/ Biological Sciences/ Geology/ Earth Sciences/ Chemistry/ Environmental Sciences shall be as per University Grants Commission (Minimum Qualifications and other Standards for Maintaining the Standard of Higher Education in Teaching and Other Academic Cadres in Universities and Colleges) Regulations 2010 or as notified in the Gazette of India by University Grants Commission from time to time and adopted by the Government of Madhya Pradesh.	By the appointing authority
III. ADMINISTRATION, LEGAL AND ACCOUNTING SERVICES					
1	Junior Grade Pay Scale Equivalent Section Officer	21	40*	MBA from a recognized University.	By the appointing authority

2	Junior Grade Pay Scale Equivalent Section Officer (Budget & Accounts)	21	40*	MBA from a recognized University.	By the appointing authority
3	Junior Grade Pay Scale Equivalent Assistant Law Officer	21	40*	Bachelor of Law from a recognized University	By the appointing authority
IV. PUBLIC RELATIONS & IT SERVICES					
1	Junior Grade Pay Scale Equivalent Assistant Public Relations Officer (Outsource Consultant by declaring Dying Cadre)	21	40*	Post Graduate Degree in Mass Communication / Journalism / Public Relation from a recognized University	By the appointing authority

Note :

1. 'The maximum age limit is as per Madhya Pradesh Government, General Administration Department, Ministry letter No. C-3-11/12/13/ 1/3 Bhopal dated 03/11/2012 and revised order dated 20/12/2012..In future, any amendment made by Madhya Pradesh Government regarding age limit will be automatically applicable in the Board.

Schedule-IV
(Qualifications prescribed for posts to be filled by selection)
(See Regulations-6 and 14)

Sr.	Name of the post from which selection is to be made	Name of the post for which selection is to be made	Required Educational Qualification & Experience	Member of Selection Committee
1	2	3	4	5
I. ENGINEERING SERVICE				
1	Additional Super Time Pay Scale equivalent to Additional Director (Environment)	Super Time Pay Scale Director (Environment) (Class I)	05 years continuous regular service in the post of Additional Director (Environment) in equivalent Super Time grade pay scale.	1. Chairman, M.P. Pollution Control Board - Chairman 2. Executive Director, Environment Planning and Coordination Organization - Member 3. Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Environment Department - Member 4. Officer representing Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes separately - Member 5. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board - Convener Member
2	Senior Selection Pay Scale equivalent Chief Engineer (Environment)	Additional Super Time Pay Scale equivalent Additional Director (Environment) (Class-I)	Senior Selection Grade Pay Scale equivalent Chief Engineer with 05 years continuous regular service.	1. Chairman, M.P. Pollution Control Board - Chairman 2. Executive Director, Environment Planning and Coordination Organization - Member 3. Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Environment Department - Member 4. Officer representing Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes separately - Member 5. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board - Convener Member

3	Selection Grade Pay Scale Equivalent Superintending Engineer (Environment)	Senior Selection Pay Scale Chief Engineer (Environment) (Class I)	05 years continuous regular service on the post of Senior Selection Grade Pay Scale Equivalent Superintending Engineer.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, M.P. Pollution Control Board – Chairman 2. Executive Director, Environment Planning and Coordination Organization - Member 3. Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Environment Department - Member 4. Officer representing Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes separately - Member 5. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board - Convener Member
4	Senior Grade Pay Scale Equivalent Executive Engineer (Environment)	Selection Grade Pay Scale Equivalent Superintendent Engineer (Environment) (Class I)	05 years of continuous regular service on the post of Senior Selection Grade Pay Scale Equivalent Executive Engineer and Post Graduate in Environmental Engineering from a recognized University and Civil Engineering at Graduate level. (The above educational qualification will not be applicable to the officers working in the Board before the publication of these regulations in the Gazette.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, M.P. Pollution Control Board - Chairman 2. Executive Director, Environment Planning and Coordination Organization - Member 3. Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Environment Department - Member 4. Officer representing Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes separately - Member 5. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board - Convener Member

5	Junior Grade Pay Scale Equivalent Assistant Engineer (Environment)	Senior Grade Pay Scale Equivalent Executive Engineer (Environment) (Class I)	05 years continuous regular service on the post of Junior Pay Scale Equivalent Assistant Engineer.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, M.P. Pollution Control Board - Chairman 2. Executive Director, Environment Planning and Coordination Organization - Member 3. Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Environment Department - Member 4. Officer representing Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes separately - Member 5. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board - Convener Member
6	Sub-Engineer (Class III)	Junior Grade Pay Scale Equivalent Assistant Engineer (Environment) (Class II)	<p>(1) 05 years continuous regular service on the post of Sub-Engineer with degree in Civil Engineering.</p> <p>(2) 08 years continuous service on the post of Sub-Engineer with diploma in Civil Engineering.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, M.P. Pollution Control Board - Chairman 2. Executive Director, Environment Planning and Coordination Organization - Member 3. Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Environment Department - Member 4. Officer representing Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes separately - Member 5. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board - Convener Member

7	Head Draftsman / Draftsman (Class III)	Junior Grade Pay Scale Equivalent Assistant Engineer (Environment) (Class II)	(1) 12 years of continuous service on the post of Chief Cartographer/Car tographer. (2) For employees who have obtained B.E. degree during service, 08 years of continuous regular service in the post of Chief Cartographer/Car tographer.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, M.P. Pollution Control Board - Chairman 2. Executive Director, Environment Planning and Coordination Organization - Member 3. Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Environment Department - Member 4. Officer representing Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes separately - Member 5. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board - Convener Member
II. SCIENTIFIC SERVICE				
1	Additional Super Time Pay Scale equivalent Additional Chief Scientific Officer (Class I)	Super Time Pay Scale equivalent Chief Scientific Officer (Class I)	05 years continuous regular service in the post of Additional Super Time Pay Scale equivalent Additional Chief Scientific Officer.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, M.P. Pollution Control Board - Chairman 2. Executive Director, Environment Planning and Coordination Organization - Member 3. Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Environment Department - Member 4. Officer representing Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes separately - Member 5. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board - Convener Member
2	Senior Selection Pay Scale equivalent Chief Scientific Officer (Class I)	Additional Super Time Pay Scale equivalent Additional Chief Scientific Officer (Class I)	05 year's continuous regular service in the post Senior Category Pay Scale equivalent of Chief Scientific Officer.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, M.P. Pollution Control Board - Chairman 2. Executive Director, Environment Planning and Coordination Organization - Member 3. Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Environment Department - Member 4. Officer representing Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes separately - Member 5. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board - Convener Member

3	Selection Grade Pay Scale Equivalent Senior Scientific Officer (Class I).	Senior Selection Pay Scale equivalent Chief Scientific Officer (Class I)	05 years continuous regular service in the post of Senior Scientific Officer (Class I)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, M.P. Pollution Control Board – Chairman 2. Executive Director, Environment Planning and Coordination Organization - Member 3. Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Environment Department - Member 4. Officer representing Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes separately - Member 5. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board - Convener Member
4	Senior Grade Pay Scale equivalent Chief Chemist (Class I)	Selection Grade Pay Scale equivalent Senior Scientific Officer (Class I)	05 years of continuous regular service on the post of Chief Chemist equivalent to Senior Pay Scale and the minimum qualifications prescribed for the post of Assistant Professor in Zoology/ Botany/ Biological Sciences/ Geology/ Earth Sciences/ Chemistry/ Environmental Sciences shall be applicable as per the University Grants Commission Minimum Qualification and Other Standards for Maintaining the Standard of Higher Education in Academic and Other Academic Cadres in Universities and Colleges Regulations 2010 or as notified in the Gazette of India by the University Grants Commission from time to time and the regulations adopted by the Madhya Pradesh Government. (The said educational qualification shall not be applicable to the officers working in the Board before the publication of these regulations in the Gazette.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, M.P. Pollution Control Board - Chairman 2. Executive Director, Environment Planning and Coordination Organization - Member 3. Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Environment Department - Member 4. Officer representing Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes separately - Member 5. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board - Convener Member

5	Junior Grade Scale Equivalent Scientist (Class II)	Senior Grade pay Scale equivalent Chief Chemist (Class I)	05 years continuous regular service in the post of Junior Scale equivalent Scientist.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, M.P. Pollution Control Board - Chairman 2. Executive Director, Environment Planning and Coordination Organization - Member 3. Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Environment Department - Member 4. Officer representing Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes separately - Member 5. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board - Convener Member
6	Junior Scientist/Chemist (Class III)	Junior Grade Pay Scale Equivalent Scientist (Class II)	(1) M.Sc. degree with 05 years continuous regular service as Junior Scientist/Chemist. (2) B.Sc. degree with 08 years continuous regular service as Junior Scientist/Chemist.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, M.P. Pollution Control Board - Chairman 2. Executive Director, Environment Planning and Coordination Organization - Member 3. Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Environment Department - Member 4. Officer representing Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes separately - Member 5. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board - Convener Member
III. ADMINISTRATION, LEGAL AND ACCOUNTING SERVICES				
1	Junior Grade Pay Scale equivalent Section Officer (Class II)	Senior Grade Pay Scale equivalent Finance Officer (Class I)	05 years continuous regular service in the post of Junior Pay Scale equivalent Section Officer.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, M.P. Pollution Control Board - Chairman 2. Executive Director, Environment Planning and Coordination Organization - Member 3. Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Environment Department - Member 4. Officer representing Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes separately - Member 5. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board - Convener Member

2	Junior Grade Pay Scale equivalent Section Officer (Class II)	Senior Grade Pay Scale equivalent Administrative Officer (Class I)	05 years continuous regular service in the post of Junior Pay Scale equivalent Section Officer.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, M.P. Pollution Control Board - Chairman 2. Executive Director, Environment Planning and Coordination Organization - Member 3. Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Environment Department - Member 4. Officer representing Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes separately - Member 5. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board - Convener Member
3	Junior Grade Pay Scale equivalent Stenographer Grade-1 (Class II)	Senior Grade Pay Scale equivalent Staff Officer (Class I)	05 years continuous regular service in the post of Junior Pay Scale equivalent Stenographer Grade-1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, M.P. Pollution Control Board - Chairman 2. Executive Director, Environment Planning and Coordination Organization - Member 3. Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Environment Department - Member 4. Officer representing Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes separately - Member 5. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board - Convener Member
4	Superintendent/Senior Accountant (Class III)	Junior Grade Pay Scale equivalent Section Officer (Class II)	5 years continuous regular service in the post of Superintendent/Senior Accountant.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, M.P. Pollution Control Board - Chairman 2. Executive Director, Environment Planning and Coordination Organization - Member 3. Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Environment Department - Member 4. Officer representing Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes separately - Member 5. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board - Convener Member

5	Stenographer Grade-2 (Class-III))	Junior Grade Pay Scale Equivalent Stenographer Grade-1 (Class-II	5 years continuous regular service in the post of Stenographer Grade-2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, M.P. Pollution Control Board – Chairman 2. Executive Director, Environment Planning and Coordination Organization - Member 3. Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Environment Department - Member 4. Officer representing Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes separately - Member 5. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board - Convener Member
6	Senior Auditor/Equivalent Pay Scale Employee (Class III)	Junior Grade Pay Scale Equivalent Section Officer (Budget & Audit) (Class II)	<ol style="list-style-type: none"> (1) 05 years continuous regular service in the post of Grade Pay 4200. (2) B.Com with MBA Degree in Financial Management. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, M.P. Pollution Control Board - Chairman 2. Executive Director, Environment Planning and Coordination Organization - Member 3. Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Environment Department - Member 4. Officer representing Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes separately - Member 5. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board - Convener Member
7	Junior Grade Pay Scale Equivalent Assistant Law Officer (Class II)	Senior Grade Pay Scale Equivalent Law Officer (Class I)	05 years continuous regular service in the post of Junior Pay Scale Equivalent Assistant Law Officer.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, M.P. Pollution Control Board - Chairman 2. Executive Director, Environment Planning and Coordination Organization - Member 3. Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Environment Department - Member 4. Officer representing Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes separately - Member 5. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board - Convener Member
8	Law Assistant (Class III)	Junior Grade Pay Scale equivalent Assistant Law Officer (Class II)	5 years continuous regular service in the post of Law Assistant Grade-I.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, M.P. Pollution Control Board – Chairman 2. Executive Director, Environment Planning and Coordination Organization - Member 3. Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Environment Department - Member 4. Officer representing Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes separately - Member 5. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board - Convener Member

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2025

फा. क्र. 1319-इक्कीस-ब(दो) .—कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 3884-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 27 सितम्बर 2017 को जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 29 सितम्बर 2017 में प्रकाशित हुई थी को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात्, मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम, 9 में उपनियम (2) में,—

1. शब्द, चिन्ह, अंक तथा कोष्ठक, “रुपए 300/- (रुपये तीन सौ)” के स्थान पर शब्द, चिन्ह, अंक तथा कोष्ठक, रुपये 380/- (रुपये तीन सौ अस्सी) स्थापित किए जाएं;
2. शब्द, चिन्ह, अंक तथा कोष्ठक, “रुपए 1000/- (रुपये एक हजार)” के स्थान पर शब्द, चिन्ह, अंक तथा कोष्ठक, रुपये 1265/- (रुपये एक हजार दो सौ पैंसठ) स्थापित किए जाएं;

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 9, in sub-rule (2),—

1. For the words, symbols, figure and brackets "Rs. 300/- (Rupees Three Hundred)", the words, symbols, figure and brackets "Rs. 380/- (Rupees Three Hundred Eighty)" shall be substituted;
2. For the words, symbols, figure and brackets "Rs. 1000/- (Rupees One Thousand)", the words, symbols, figure and brackets "Rs. 1265/- (Rupees One Thousand Two Hundred Sixty Five)" shall be substituted;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रवीण हजारे, अतिरिक्त सचिव.